सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ)

संदर्भ: भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल स्थिर पूंजी निर्माण 2014-15 में 32.78 लाख करोड़ रुपये (2011-12 स्थिर मूल्य) से बढ़कर. 2022-23 में 54.35 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम अनुमान) हो गया है।

- भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- यह 2014-15 में 32.78 लाख करोड़ रुपये (स्थिर 2011-12 की कीमतें) से बढ़कर रु. 2022-23 में 54.35 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम अनुमान) होने का आनुमान है।
- उपर्युक्त बयान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दिया था।
- जीएफसीएफ अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी क्षेत्र के संयुक्त निवेश को दर्शाता है।
- सरकार ने 2020-21 और 2021-22 में 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' और 2022-23 और 2023-24 में 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता जैसी योजनाएं लागू कर रखी हैं।
- ये योजनाएँ विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, बिजली आदि क्षेत्रों में पूंजीगत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता (ऋण) प्रदान करती हैं।

सकल स्थिर पूंजी निर्माण के बारे में

- जीएफसीएफ व्यवसायों, सरकारों और परिवारों द्वारा अचल संपत्तियों में निवेश को मापता है।
- इसमें मूर्त और अमूर्त संपत्तियां शामिल होती हैं।
- जीएफसीएफ आर्थिक विकास और निवेश गतिविधि का एक प्रमुख संकेतक है।
- यह उत्पादक क्षमता को दर्शाते हुए जीडीपी गणना में योगदान देता है।
- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र जीएफसीएफ में योगदान करते हैं।
- जीएफसीएफ बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है।
- सरकारें इसका उपयोग आर्थिक स्वास्थ्य और नीतियों का आकलन करने के लिए करती हैं।
- जीएफसीएफ आर्थिक स्थितियों और नीतियों के कारण अस्थिर हो सकता है।
- यह दीर्घकालिक उत्पादकता और विकास पर केंद्रित है।
- जीएफसीएफ अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं को सक्षम बनाता है और विदेशी निवेश को आकर्षित करता है।
- विकासशील अर्थव्यवस्थाएं विकास के लिए जीएफसीएफ बढ़ाने पर जोर देती हैं।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से डेटा एकत्र किया जाता है।
- जीएफसीएफ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह भविष्य में विकास के लिए अर्थव्यवस्था की क्षमता को रेखांकित करता है।

राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति (एनडीटीएसपी) का मसौदा

संदर्भ: नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी (एनडीटीएसपी) कंसोर्टियम ने सार्वजनिक परामर्श के लिए एक मसौदा नीति जारी की है। जिस पर 15 सितंबर, 2023 तक सार्वजनिक प्रतिक्रिया आमंत्रित की जा रही है।

- 7 जुलाई, 2022 को अपनी 21वीं बैठक में, प्रधान मंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) ने एक राष्ट्रीय कंसोर्टियम और कार्य समूह बनाने की सिफारिश की थी।
- इसका उद्देश्य भारतीय डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचे का प्रस्ताव करना है।
- प्रोफ़ेसर अजय कुमार सूद की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय कंसोर्टियम में विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- हितधारकों में डीपीआईआईटी, एआईएम, नीति आयोग, एमईआईटीवाई, डीबीटी, इसरो, एनएससीएस, डीआरडीओ, नैसकॉम, सीआईआई और फिक्की शामिल हैं।

नीति के बारे में

- यह नीति स्टार्टअप इंडिया की पहल की पूरक है और गहन तकनीकी स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करती है।
- इसका उद्देश्य उनकी अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
- एनडीटीएसपी का मसौदा विभिन्न विषयों के तहत नए नीतिगत उपकरणों का प्रस्ताव करता है:
    - अनुसंधान, विकास एवं नवाचार को बढ़ावा देना
    - बौद्धिक संपदा व्यवस्था को मजबूत करना

- फंडिंग तक पहुंच को सुगम बनाना
- साझा बुनियादी ढांचे और संसाधन साझाकरण को सक्षम करना
- अनुकूल विनियम, मानक और प्रमाणन बनाना
- मानव संसाधनों को आकर्षित करना और क्षमता निर्माण शुरू करना
- नीति एवं कार्यक्रम अंतर्संबंध सुनिश्चित करना
- डीप टेक स्टार्टअप्स को कायम रखना

डीप टेक क्या है?

- डीप टेक में उन्नत, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
- स्टार्टअप जटिल नवाचारों और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- क्षेत्रों में एआई, बायोटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि शामिल हैं।
- डीप टेक में सभी उद्योगों में परिवर्तनकारी क्षमता है।
- सरकारों और निवेशकों से समर्थन बढ़ रहा है।

सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023

संदर्भ: संसद ने सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया है।

मुख्य बिंदु :

- सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 का उद्देश्य फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन, विशेष रूप से इंटरनेट पर फिल्म चोरी से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना है।
- पायरेसी की श्रेणी में आने वाली फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन पर रोक लगाने के प्रावधान:
  - सिनेमाघरों में कैम-रीकॉर्डिंग के माध्यम से फिल्म चोरी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त दंडात्मक प्रावधान।
  - अनधिकृत नकल और पायरेटेड फिल्म प्रतियों के ऑनलाइन प्रसारण और प्रदर्शन पर प्रतिबंध।
- **सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन की बेहतर प्रक्रिया:**
  - प्रमाणन की आयु-आधारित श्रेणियों का परिचय।
  - मौजूदा यूए (यूनिवर्सल एडल्ट) श्रेणी को तीन आयु-आधारित श्रेणियों में विभाजित करना: यूए 7+, यूए 13+ और यूए 16+।
  - आयु-आधारित प्रमाणीकरण माता-पिता या अभिभावकों के लिए इस बात पर विचार करने के लिए अनुशंसित हैं कि बच्चों को फिल्म देखनी चाहिए या नहीं।
- **मौजूदा आदेशों और निर्णयों के साथ सामंजस्य:**
  - केएम शंकरप्पा बनाम भारत संघ (2000) वाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार केंद्र सरकार की पुनरीक्षण शक्तियां सिमित हो गई।
  - केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा जारी प्रमाणपत्रों की स्थायी वैधता की अनुमति देते हुए केवल 10 वर्षों के लिए प्रमाणपत्र की वैधता पर प्रतिबंध को हटाना।
- **टेलीविजन के लिए फिल्म की श्रेणी में बदलाव:**
  - टेलीविजन प्रसारण के लिए संपादित फिल्म का पुन:प्रमाणीकरण आवश्यक है।
  - केवल अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी श्रेणी के अंतर्गत आने वाली फिल्में ही टेलीविजन पर दिखाई जा सकती हैं।
- **जम्मू और कश्मीर का संदर्भ:**
  - जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुरूप पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के संदर्भ को हटाना।

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952

- भारत का सिनेमैटोग्राफ अधिनियम फिल्म प्रमाणन, प्रदर्शन और विनियमन को नियंत्रित करता है।
- इसे 1952 में अधिनियमित किया गया था और फिल्म उद्योग में परिवर्तनों के अनुकूल इसमें संशोधन किए गए हैं।
- यह अधिनियम केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फिल्म प्रमाणन के लिए सशक्त बनाता है।
- यह फिल्मों को 'यू', 'यूए', 'ए' और 'एस' जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करता है।
- अधिनियम फिल्म चोरी और फिल्म संरक्षण को संबोधित करता है।
- राज्य सरकारें लाइसेंसिंग के माध्यम से फिल्म प्रदर्शन को विनियमित करती हैं।
- फिल्म निर्माता फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (एफसीएटी) में अपील कर सकते हैं।

- यह अधिनियम आपत्तिजनक सामग्री से बचने के लिए फिल्म सामग्री को नियंत्रित करता है।
- इसमें उल्लंघन पर अपराध और दंड की रूपरेखा दी गई है।
- यह अधिनियम भारतीय सिनेमा की अखंडता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को सुनिश्चित करता है।

राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम

संदर्भ: कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम की स्थापना की घोषणा की।

- यह नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।
- फोरम का प्राथमिक उद्देश्य डिजिटल व्यापार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए व्यापारियों, उपभोक्ताओं और समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों को आगे बढ़ाना है।
- इसका उद्देश्य डिजिटल नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करना और विशेषज्ञ सत्रों और निर्देशात्मक सामग्रियों के माध्यम से डिजिटल नवाचारों से जुड़ने के लिए नागरिकों की क्षमता को बढ़ाना है।
- फोरम का उद्देश्य एक खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र को सुनिश्चित करते हुए एक ट्रिलियन-डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के भारत सरकार के दृष्टिकोण में योगदान देना है।
- अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, मंच जागरूकता शिविर, डिजिटल और भौतिक संवाद, प्रशिक्षण कार्यक्रम , सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के हितधारकों तक लक्षित पहुंच का आयोजन करेगा।
- राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम पांच मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
    - **थीम 1**: उपभोक्ता संरक्षण और ऑनलाइन सुरक्षा, कुशल शिकायत निवारण पर जोर।
    - **थीम 2:** डिजिटल गुटबंदी को संबोधित करना और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को हतोत्साहित करने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना।
    - **थीम 3:** व्यापार में बदलाव लाने, रोजगार को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए भारतीय डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना।
    - **थीम 4:** उत्पादकता को प्रोत्साहित करने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पहली सिद्धांत-आधारित कराधान नीति लागू करना।
    - **थीम 5**: उपभोक्ता हितों की सुरक्षा करते हुए खुदरा व्यापार पर ब्लॉकचेन और एआई के प्रभाव जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का अध्ययन करना।

अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (CAIT)

- कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की स्थापना 1990 में हुई थी।
- यह पूरे भारत में व्यापारियों और छोटे व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करता है।
- CAIT व्यापारिक समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए नीतिगत बदलावों की वकालत करता है।
- संगठन गैर-राजनीतिक और गैर-सरकारी है।
- CAIT निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं और नीति सुधारों के लिए अभियान चलाता है।
- इसका भारत में व्यापार संबंधी चर्चाओं और नीतिगत बदलावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

ब्लैक होल

ब्लैक होल क्या है?

ब्लैक होल अंतरिक्ष में अत्यंत तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव वाला एक क्षेत्र है जिससे कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, बच नहीं सकता है।

गठन: ब्लैक होल बड़े सितारों के परमाणु ईंधन समाप्त होने के बाद उनके गुरुत्वाकर्षण के पतन से बनते हैं।

प्रकार: ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं जैसे:- तारकीय ब्लैक होल (3-20 सौर द्रव्यमान), मध्यवर्ती ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल (लाखों से अरबों सौर द्रव्यमान)।

जांच: ब्लैक होल स्वयं अदृश्य होते हैं, लेकिन आस-पास के पदार्थ और प्रकाश पर उनके प्रभाव से उनका पता लगाने में मदद मिलती है।

वैज्ञानिक महत्व: ब्लैक होल का अध्ययन गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष-समय और भौतिकी के मूलभूत नियमों के बारे में हमारी समझ को विकसित करने में मदद करता है।

आकाशगंगा विकास में भूमिका: सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाशगंगाओं की वृद्धि और संरचना की समझ को विकसित करते हैं।

हॉकिंग विकिरण: ब्लैक होल हॉकिंग विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिससे उनका द्रव्यमान धीरे-धीरे कम होने लगता है।

विवाद: सटीक परिणामों के बावजूद, कई भौतिक विज्ञानी शुरू में अपने विचित्र गुणों के कारण ब्लैक होल के अस्तित्व को स्वीकार करने में झिझक रहे थे।

ऐतिहासिक संदर्भ: "ब्लैक होल पेपर" 1 सितंबर, 1939 को प्रकाशित हुआ था, उसी दिन नील्स बोह्र और जॉन व्हीलर ने परमाणु विखंडन पर एक पेपर प्रकाशित किया था और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था।

अकीरा रैनसमवेयर

अकीरा क्या है?

अकीरा एक रैंसमवेयर है जो विंडोज़ और लिनक्स उपकरणों को लक्षित कर उसे प्रभावित करता है, उसके डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और डिक्रिप्शन तथा रिकवरी के लिए फिरौती की मांग करता है।

संक्रमण: अकीरा स्पीयर फ़िशिंग ईमेल, ड्राइव-बाय-डाउनलोड और असुरक्षित रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के माध्यम से फैलता है।

प्रभाव: अकीरा विंडोज़ शैडो वॉल्यूम प्रतियों को हटा देता है, जिससे डेटा पुनर्प्राप्ति और बैकअप में बाधा आती है।

कार्यरत: अकीरा सिस्टम स्थिरता फ़ोल्डरों को एन्क्रिप्ट करने से बचता है, उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के लिए वीपीएन सेवाओं का उपयोग करता है और एन्क्रिप्शन के दौरान सक्रिय विंडोज सेवाओं को समाप्त कर देता है।

फिरौती की मांग: पीड़ितों से फिरौती मांगी जाती है और मांग पूरी न होने पर डार्क वेब पर डेटा लीक करने की धमकी दी जाती है।

प्रसार और लक्ष्य: मार्च 2023 से सक्रिय, अकीरा शिक्षा, वित्त, रियल एस्टेट, विनिर्माण और परामर्श सहित विभिन्न डोमेन को लक्षित कर सकता है।

निवारक उपाय: इस सम्बन्ध में CERT-In ऑफ़लाइन बैकअप बनाए रखने, सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करने, मजबूत पासवर्ड लागू करने और मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण लागू करने की सलाह देता है।

अतिरिक्त सुरक्षा: संगठनों को डोमेन-आधारित संदेश प्रमाणीकरण, ईमेल सत्यापन, डेटा एन्क्रिप्शन का उपयोग करना चाहिए और समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट करना चाहिए।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा क्या है?

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) एक प्रमुख बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य चीन के झिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ना है।

उद्देश्य: चीन और पाकिस्तान के बीच कनेक्टिविटी, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ाना।

राजनीतिक मुद्दा: भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर सीपीईसी के मार्ग का विरोध करता है।

दूसरा चरण: हाल ही में, सीपीईसी परियोजनाओं के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए छह प्रमुख दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए।

चीनी समर्थन: चीन ने पाकिस्तान को आर्थिक और वित्तीय सहायता जारी रखने का वादा किया।

केंद्र बिंदु के क्षेत्र: दूसरे चरण में कृषि और आईटी बिजनेस-टू-बिजनेस निवेश पर जोर दिया गया है।

राजनयिक आदान-प्रदान: पारस्परिक मित्रता बढ़ाने के लिए औद्योगिक श्रमिकों के आदान-प्रदान पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई): सीपीईसी चीन के बीआरआई का हिस्सा है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़ाना है।

ऋण संबंधी चिंताएँ: सीपीईसी ने छोटे देशों पर बढ़ते चीनी कर्ज को लेकर चिंता जताई है।

संस्कृति कार्य समूह

संस्कृति कार्य समूह क्या है?

कल्चर वर्किंग ग्रुप (CWG) भारत की G20 प्रेसीडेंसी के तहत गठित एक विशेष समिति है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के आवश्यक घटकों के रूप में सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

"संस्कृति सबको जोड़ती है" अभियान: यह भारत की जी 20 अध्यक्षता के तहत किया जाने वाला एक प्रमुख अभियान है, जो सांस्कृतिक विविधता और समाज को एकजुट करने वाली ताकत के रूप में बढ़ावा देता है।

लम्बानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड: कल्चर वर्किंग ग्रुप (सीडब्ल्यूजी) ने लगभग 450 महिला शिल्पकारों द्वारा बनाई गई "लम्बानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन" के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।

लम्बानी जगह: 14वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में प्रसिद्ध विरुपाक्ष मंदिर के पास येदुरु बसवन्ना परिसर में लम्बानी कला स्थापना प्रदर्शित की गई थी।

उद्देश्य: इस रिकॉर्ड का उद्देश्य पारंपरिक कला रूप लम्बानी कढ़ाई को उजागर करना और कारीगर प्रथाओं की निरंतरता को प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करना है।

भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग: लम्बानी कढ़ाई जीआई टैग प्राप्तकर्ता है, जो भारत की पारंपरिक टिकाऊ जीवित विरासत प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करती है।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

1 August, 2023

अंतरिक्ष कचरा/मलबा

अंतरिक्ष कचरे के बारे में:

यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली निष्क्रिय, त्याग दी गई और गैर-कार्यात्मक मानव निर्मित वस्तुओं को संदर्भित करता है, जिसमें समाप्त हो गए रॉकेट चरण, निष्क्रिय उपग्रह और उपग्रह टकराने से उत्पन्न होने वाला मलबा आदि शामिल हैं।

अंतरिक्ष मलबे की पहचान: पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए गए मलबे की पुष्टि इसरो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) रॉकेट के अवशेष के रूप में की गई है।

घटना का विवरण: यह संभवतः पीएसएलवी रॉकेट से आईआरएनएसएस तारामंडल के लिए एक नेविगेशन उपग्रह लॉन्च करने से उत्पन्न हुआ, जिसके अधजले हिस्से ऑस्ट्रेलियाई तट पर मिले हैं।

घटनाओं की सामान्य स्थिति: अंतरिक्ष का मलबा पृथ्वी पर गिरता है, जिसमें आमतौर पर न्यूनतम जोखिम वाले छोटे टुकड़े शामिल होते हैं। इस सम्बन्ध में चीनी रॉकेट खंड (मई 2021) और स्काईलैब अंतरिक्ष स्टेशन विघटन (1979) जैसे उल्लेखनीय मामले घटित हुए हैं।

संभावित खतरे: अंतरिक्ष में गिरता मलबा समुद्री जीवन और प्रदूषण के लिए जोखिम बढ़ा सकता है, लेकिन इससे अब तक कोई व्यापक क्षति दर्ज नहीं की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय विनियम: अंतरिक्ष वस्तुओं के कारण होने वाली क्षति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर कन्वेंशन, यदि अंतरिक्ष वस्तुओं से पृथ्वी या अन्य अंतरिक्ष संपत्तियों को नुकसान होता है, तो लॉन्चिंग देश को मुआवजे के लिए "पूर्ण रूप से उत्तरदायी" बनाता है।

मुआवज़ा उदाहरण: एक मुआवज़ा भुगतान तब दर्ज किया गया जब कनाडा ने 1978 में अपने निर्जन क्षेत्र में रेडियोधर्मी पदार्थ वाले एक उपग्रह के गिरने के लिए सोवियत संघ से हर्जाना मांगा।

समाचारों में स्थान

कोकोस द्वीप

भारतीय नौसेना के डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और भारतीय वायु सेना के सी-130 परिवहन विमान ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कोकोस (कीलिंग) द्वीप (सीकेआई) का दौरा किया, जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ी हुई रणनीतिक पहुंच और सैन्य अंतर-संचालनीयता का प्रदर्शन हुआ।

भौगोलिक स्थिति: कोकोस (कीलिंग) द्वीप हिंद महासागर में एक ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से लगभग 3,000 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है।

जैव विविधता: ये द्वीप अपने विविध समुद्री जीवन और प्रवाल भित्तियों के लिए जाने जाते हैं।

संघटन: इनमें 27 छोटे द्वीपों के साथ दो मूंगा एटोल शामिल हैं, जिनमें से केवल वेस्ट आइलैंड और होम आइलैंड ही बसे हुए हैं।

मलय नाम: मलय में, उन्हें "पुलु कोकोस (कीलिंग)" कहा जाता है।

सैन्य क्षमता: ये द्वीप भारतीय सेना के लिए ईंधन भरने और परिचालन में बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में काम कर सकते हैं, विशेष रूप से पी-8 जैसे लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान और बड़े विमानों के लिए विस्तारित रनवे से संबंधित मामलों में।

POINTS TO PONDER

कौन सी कंपनी दांस्के बैंक के भारत में स्थित आईटी केंद्र को खरीदने की प्रक्रिया में है? - इंफोसिस

"Pregnant Workers Fairness Act" किस राष्ट्र में पारित किया गया है? - संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए)

'EKAMRA प्रोजेक्ट' किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? - ओडिशा

2023 में PEN पिंटर पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए किसे चुना गया है? - माइकल रोज़न

कौन से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने देश की पहली 'पुलिस ड्रोन यूनिट' की शुरुआत की है? - तमिलनाडु

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com